

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक .- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/ दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री अवनीश मीणा, कनिष्ठ सहायक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 06.07.2015 है तथा दिनांक 05.07.2017 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 01.10.2015 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 08.02.2019 को टकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 06.07.2017 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 08.02.2019 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 4.4.19

क्रमांक .- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/838

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
2. श्री अवनीश मीणा, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर